"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2009—श्रावण 2, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/18/2004/1/2.— श्री विवेक ढॉड, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 10-08-2009 से 13-08-2009 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09, 14, 15 एवं 16 अगस्त, 2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ढॉड, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश काल में श्री ढॉड को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ढॉड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/13/2007/1/2.—श्री अंकित आनन्द, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, दन्तेवाड़ा को दिनांक 23-07-2009 से 01-08-2009 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-08-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अंकित आनन्द आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अंकित आनन्द को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित आनन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 08-07-2009 से 10-07-2009 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11 एवं 12 जुलाई, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 15-06-2009 से 01-07-2009 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13 एवं 14 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के तथा उनके साले एवं पत्नी के व्यय पर यूरोप विदेश भ्रमण की कार्योत्तर अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार द्रेय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

क्रमांक 4194/3425/08/सत्रह/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम पंचायत चारामा, विकासखण्ड चारामा, मुख्यालय जिला कांकेर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने की सहमति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

क्रमांक एफ. 1-56/31/स्था./2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री माइकल फ्रांसिस, मुख्य अभियंता (सिविल) को, प्रमुख अभियंता के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37,400-67000/- + ग्रेड वेतन रुपये 10,000/- में पदोन्नत करते हुये, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर में पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2009

क्रमांक एफ 13-5/2008/20-दो.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्ड पांच द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित छत्तीसगढ़ विधान सभा के पांच सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्यों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करती है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	माननीय डॉ. कृष्ण मूर्ति बांधी	विधायक मस्तुरी, जिला-बिलासपुर
2.	माननीय श्री देवजी भाई पटेल	विधायक धरसींवा, जिला-रायपुर
3.	माननीय श्री रविशंकर त्रिपाठी	विधायक भठगांव, जिला-सरगुजा

(1)	(2)	(3)
4.	माननीय श्री भीमा मण्डावी	विधायक दंतेवाड़ा, जिला-दंतेवाड़ा
5.	माननीय श्रीमती सुमित्रा मारकोले	विधायक कांकेर, जिला-कांकेर

2. उपरोक्त नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिबियाना तिर्की, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. नियमावली के परिशिष्ट-1 में प्रविष्टि 101 के पश्चात् सरल क्रमांक 102 पर "सायकल" भी जोड़ा जाए.

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेष कुमार, सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 जून 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बरेकेलकलां	0.447	कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर जिला-बिलासपुर.	जैतपुर हसौद मार्ग पर महानदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 6/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 71/16	418/2	0.32	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	लोकहित में नया रायपुर परियोजना (सेक्टर 27 का निर्माण कार्य) हेतु.
			418/3	0.90		
			484/1	0.15		
		योग	3	1.37		

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 7/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुहेरा प. ह. नं. 70/17	10	0.20	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	लोकहित में नया रायपुर परियोजना हेतु रोड क्र. 09, ए एवं प्लानिंग हेतु.
			14	0.02		
			15	0.43		
			16	0.41		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			24	0.70		
			25/1	0.14		
			68	0.35		
			69/1	0.04		
			71/1	0.25		
			306	0.27		
			307/2	0.08		
			311	0.13		
		योग	**12**	**3.02**		

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 8/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 71/16	248	0.05	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	लोकहित में नया रायपुर परियोजना हेतु रोड क्र. 2 हेतु.
		योग	**1**	**0.05**		

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 9/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	झांझ प. ह. नं. 71/16	100	0.02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	लोकहित में नया रायपुर परियोजना (रोड क्र. 2) हेतु.
			102	0.02		
			244	0.07		
			272	0.19		
			302	0.50		
		योग	**5**	**0.80**		

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 10/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73/14	1253/3	0.040	मुख्य कार्यपालन, अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना सड़क क्रमांक 08.
			1254/1	0.081		
			1254/2	0.310		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1254/3	0.061		
			1256/2	0.141		
			1256/3	0.040		
			1256/4	0.506		
			1256/5	0.034		
			1256/6	0.032		
			1256/7	0.170		
			1256/8	0.324		
			1256/9	0.081		
			1256/10	0.250		
			1256/11	1.008		
			1256/13	0.045		
			1256/14	0.145		
			1261/1	0.030		
			1261/3	0.020		
			1261/7	0.020		
			1262/1	0.483		
			1264/1	0.092		
		योग	**21**	**3.913**		

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 11/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	सेमरा प. ह. नं. 26	675	0.03	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	इंटेक वेल निर्माण हेतु
			679	0.15		
			691	0.17		
			692	0.50		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			693	0.19		
			677	0.02		
			680	0.06		
			689/8	0.03		
			690	0.05		
			694	0.10		
			695	0.03		
			689/9	0.03		
			689/1	0.07		
			696	0.07		
			697	0.03		
			702	0.39		
			698	0.37		
			699	0.16		
			700	0.13		
			701	0.27		
			689/7	0.03		
		योग	**21**	**2.88**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	मैनपुर	कांडेकेला	2.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोटरी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	बाड़ीगांव	3.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	गिरसुल व्यपवर्तन सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	सुकलीभाठा	3.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के उलट एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	गिरसुल	2.92	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	गिरसुल व्यपवर्तन योजना के मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जून 2009

क्रमांक/2477/भू-अर्जन/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हाररास, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
545	0.16
320/571	0.24
320/571	0.60
315/6	0.08
222	0.12
372	0.05
258	0.10
258	0.05
538	0.20
320/571	0.19
317	0.02
538	0.14
320/571	0.25
372	0.16
222	0.06
372	0.12
265	0.02
265	0.02
265	0.02

	(1)	(2)
	265	0.03
	265	0.17
	86	0.11
	80	0.05
	77/2	0.02
	68	0.16
	79	0.10
	265	0.02
	265	0.02
	265	0.05
	307	0.10
	79	0.13
	79	0.18
	78	0.12
	411	0.58
योग		3.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कुम्हारराास जलाशय योजना के अन्तर्गत आरबीसी मुख्य नहर एवं एल.बी.सी. शाखा नहर क्र. (1) एवं (2) के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/5068/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़पार, प. ह. नं. 90/02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	688/2	0.01
	688/3	0.02
	688/4	0.01
	692/1	0.50
योग		0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुढ़पार एनीकट बांधपार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/5069/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खलारी, प. ह. नं. 90/02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
130	0.27
131	0.19
योग	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुढ़पार एनीकट बांधपार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 11/अ. 82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिर हसौद, प. ह. नं. 73/14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.591 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
762	0.374
805/1-2	0.578
806	0.376
807/13	0.050
812/4	0.012
813	0.220
814	0.557
815/2	0.061
815/3	0.095
815/5	0.151
816	0.848
817/1-3-4	0.090
817/2	0.081
820	0.080
821	0.589
822	0.412
823	0.379
824/1-2	0.238
1238/2	0.085
1240/1	0.072
1240/2	0.072
1241/1-2-3	0.550
1241/9	0.060
1261/1	0.070
1262/2	0.150
1279/1	0.030
1281/2	0.151
1281/19	0.010
1281/20	0.051
1281/26	0.099
योग 30	6.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनान्तर्गत रोड नम्बर 01 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग, अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.